

install five units of 50/62.5 MW each at Satpura. Three of these units will be to the account of Madhya Pradesh and two to the account of Rajasthan. The scheme is estimated to cost Rs. 30.38 crores. The expenditure will be borne by the Governments of Madhya Pradesh and Rajasthan in the ratio of 60:40.

(d) The project report is under preparation.

Shri Birendra Bahadur Singh: By whom is the project report prepared and by what time will it be prepared?

Shri S. A. Mehdi: It is difficult to say that at this stage because it is in the investigation stage. But it is expected shortly.

Shri Birendra Bahadur Singh: By whom is the report prepared—M. P. Government or Rajasthan Government or the Central Government?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Alagesan): The M. P. State electricity board has been requested by the CWPC to prepare the project report.

Shri A. S. Saigal: The M. P. Government will instal three thermal power plants and the Rajasthan Government, two. What is the ratio of expenditure?

Shri S. A. Mehdi: The ratio will be 60 : 40, according to the number of plants.

Shri Birendra Bahadur Singh: When the Central Government takes so much interest in this scheme, what would be its share?

The Minister of Irrigation and Power (Hafiz Mohammad Ibrahim): There is no question of the Central Government sharing the expenditure. It is being constructed for the benefit of the two States. Instead of having two stations, their purpose will be served by having one station

श्री म० ला० द्विवेदी : स्टेटमेंट में बतलाया गया है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की

जा रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि कब तक यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जायेगी।

श्री स० अ० मेहदी : जैसा मैं ने अभी कहा, वह स्टेट गवर्नमेंट तैयार कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी यह रिपोर्ट तैयार हो कर दाखिल हो जायेगी। लेकिन तारीख अभी नहीं बतलाई जा सकती।

Dr. K. L. Rao: May I know whether the Government has studied the relative economics of transport of power versus transport of coal from the various coal fields in the country? If they have not done it do they intend to do that?

Shri Alagesan: I do not know whether this arises from this question directly. But the combination of this particular project is expected to bring in quite a big saving. The saving in capital outlay will be to the tune of Rs. 3 crores and the savings in the annual recurring expenditure will be to the tune of Rs. 44 lakhs to Rajasthan.

टिसुआ रेलवे स्टेशन पर डकैती

***१०४६. श्री विभूति मिश्र :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ डकैतों ने टिसुआ रेलवे स्टेशन (बरेली-लखनऊ लाइन—उत्तर रेलवे) पर ३० अप्रैल की रात में हमला किया या;

(ख) यदि हाँ, तो उन्होंने कितना सामान लूटा;

(ग) रेलवे पुलिस ने इस मामले में क्या कार्यवाही की; और

(घ) इस संबंध में कितनी गिरफ्तारियां की गईं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी हाँ। लेकिन घटना २८ और २९ अप्रैल, १९६२ के दरम्यानी रात में हुई।

(ख) डाकुओं ने जो सामान लूटा उसमें २१ रुपये ४५ नये पैसे नकद, २ घड़ियाँ, एक जोड़ा धूपी चरमा, २ साड़ियाँ, एक जोड़ा पायल और पहनने के कुछ कपड़े थे। इन सब की कीमत कुल ३७१ रुपये ४५ नये पैसे है।

(ग) और (घ). बरेली की रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अभी उसकी जांच हो रही है।

वि विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूँ कि जो इस तरह की घटनाएँ हुआ करती हैं उनसे मुसाफिरों की रक्षा करने के लिए क्या रेलवे विभाग अपनी प्रोटेक्शन फॉर्म के द्वारा कुछ काम करना चाहती है ?

श्री शाहनवाज खाँ : रेलवे स्टेशनों और मुसाफिर गाड़ियों के बीच में अमन और सुरक्षा रखने की जिम्मेवारी स्टेट पुलिस की है। जहाँ कोई ऐसी घटना हो जाती है तो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस उसकी उसकी जांच पड़ताल करती है और जो मुल्जिम होते हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है।

श्री विभूति मिश्र : पिछले आठ दस साल से देखा जाता है कि अक्सर रेल में लूटमार हो जाती है। रेलवे सरकार का कमडियल डिपार्टमेंट है। मैं चाहता हूँ कि सरकार कोई योजना बनाये कि जिससे जो मुसाफिर जाते हैं उनका पूरी तरह से प्रोटेक्शन हो सके।

श्री शाहनवाज खाँ : इस मामले पर कई बार विचार किया गया है। हमारे रेलवे मंत्री साहब ने इस बारे में राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स से बातचीत की है और राज्यों के इंस्पेक्टर्स जनरल आफ पुलिस से भी मंत्राविरा किया है और जो भी मुनासिब और मुमकिन इन्तिजामात हैं वे किये जा रहे हैं।

Shrimati Savitri Nigam: Just now, the hon. Minister mentioned that whatever is possible is being done. I would like to know the steps that

have been taken in this connection, keeping in view the increasing number of dacoities and loots that are prevalent in the railways.

Shri J. P. Jyotishi: How many such events took place last year?

Shri Shaanawaz Khan: I shall require separate notice.

श्री सरजू पाण्डेय : जब यह प्रश्न किया जाता है तो कहा जाता है कि मुसाफिरों की सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। आपने बतलाया कि तमाम राज्यों के मुख्य मंत्रियों और आई० जी० पुलिस से इस बारे में वार्तालाप हुआ। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस वार्तालाप के फलस्वरूप कोई ऐसी योजना बनायी गयी है जिससे मुसाफिरों की सुरक्षा हो सके ?

श्री शाहनवाज खाँ : जो हाँ। राज्य सरकारें इन्तिजाम कर रही हैं और मुझे माननीय सदस्य को यह बताने में खुशी है कि जो ये बहुत सारी दुर्घटनाएँ हुई हैं इनके मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उम्मीद है कि उनको कड़ी सजाये मिलेंगी।

Shri Birendra Bahadur Singh: How is the co-ordination between the railway protection force and the State police force arrived at in conducting such cases or arresting such people?

Shri Shaanawaz Khan: If the railway protection force have any information, they pass it on to the Government Railway Police. The main duty of the railway protection force is to look after the railway property entrusted to their care. The responsibility of looking after the safety of passengers is that of the Government Railway Police.

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, आम तौर पर इस तरह का जो घटनाएँ होती हैं वे चलती हुई रेलगाड़ी में होती हैं, पर यह घटना स्टेशन पर हुई है। अतः क्या इस सम्बन्ध में आगे से कोई ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि रेलवे के

कर्मचारियों की और जो मुसाफिर स्टेशनों पर आते हैं उनकी सुरक्षा हो सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो बार बार पूछा जा रहा है ।

श्री व्. बि० मेहरोत्रा : क्या माननीय मंत्री महोदय बताने को कृपा करेंगे कि यह रेलों में लूटमार और डकैती में लोगों का माल चला जाता है क्या उसका कोई कम्पेन्सेशन देने को भी योजना है ?

श्री शाहनवाज खां : उस माल को तलाश करने का प्रयत्न किया जाता है ।

श्री विभूति मिश्र : जो माल रेलवे द्वारा भेजा जाता है अगर वह गुम हो जाता है तो उसके लिए रेलवे कम्पेन्सेशन देती है । मैं जानना चाहता हूँ कि रेलों में जो इस प्रकार की घटनाओं के फलस्वरूप लोगों का माल चला जाता है उसके लिए रेलवे जिम्मेवार है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो कानूनी बात है ।

Shri Priya Gupta: May I know whether any attempt is made to get the power of the Railway Protection Force increased to the extent that the powers of the State Police may be conferred on them, failing which it should be wound up and there should be only one force? This hackneyed subject of transferring cases to the State police is not necessary.

Mr. Speaker: That is too wide a question. (Interruption).

श्री ज० ब० सिंह : क्या केन्द्रीय सरकार की तरफ से कोई ऐमो स्कीम बनाई जा रही है कि रेलवे पुलिस के साथ ट्रेन में यह जो डिटेक्टिव्स आपॉर्न दिल्ली और कलकत्ते में रवे हैं, इन डिटेक्टिव्स का कोई ग्रुप भी उनके साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि ऐसे जो वाक्यात हों उन की जांच कर सकें और उन का पता लगा सकें ताकि सरकार उन पर कोई ऐक्शन ले ?

श्री शाहनवाज खां : प्लेन क्लोद्स सी० आई० डी० अभी भी जिस तरीके से माननीय सदस्य ने कहा है, उसी तरीके से काम कर रहे हैं । माननीय सदस्य ने इस में कोई नया मुझाव नहीं दिया है । काम उसी तरीके से हो रहा है ।

Sanctioning of Railway crossings

*1050. **Shri Koya:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the inconveniences and hardships caused to the public because of delay on the part of the Railway authorities in sanctioning new Railway crossings; and

(b) whether Government are considering simplification of the procedure in view of the fact that a large number of new roads are being constructed in the villages and their work is retarded due to this delay?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) & (b). With a view to minimise delays in providing new level crossings where required, a simplified procedure was evolved in 1956 and all State Governments advised. There is no delay on the part of the Railways in carrying out the work, where the State Governments comply with the procedure and accept the financial liability.

Delays in most cases, have been due to the State Governments or road authorities concerned not readily accepting the financial liabilities for such new level crossings as required under the extant rules.

Shri Koya: Does the Government intend to decentralise this matter and give powers to the officers there in the districts?

Shri S. V. Ramaswamy: The procedure is this. Whenever the Executive Engineer of the Public Works Department of the State Government thinks that there should be a level-